251A श्रीमाराम पु. जोगाराम 40/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज
29/6/2021	वकीलान उभय बहस वकीलान सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश दिनांक 14/7/2021 को पेश हो।
15/7/2021	वकीलान उभय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा-251A स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली बाद [illegible] नम्बर व क्रम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned with CamScanner

कार्यलय तहसीलदार (भू.अ.) जायल

क्रमांक/भू.अ./2021/1673 दिनांक 26-4-2021

प्रेषिति– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

जायल

विषय–प्रकरण धारा 251 (ए) की जांच करवाकर मौका रिर्पोट भेजने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके न्यायालय के प्रकरण सं. 40/2020 अनवान झुमरराम बनाम खेमाराम वगैरह की जांच भू.अ.निरिक्षक से करवाई गई, उक्त प्रकरण राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) से सम्बन्धित है। उक्त प्रकरण की जांच होकर भू.अ.निरिक्षक द्वारा तैयार की गई मौका रिर्पोट मय आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर इस कार्यालय में जमा हो जाने से इस पत्र के संलग्न श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न मौका रिर्पोट मय दस्तावेज

तहसीलदार (भू.अ.) जायल

तहसीलदार (भू०अ०) जायल

Scanned with CamScanner

कार्यालय भू०अ० नि० क्षेत्र कमेडिया तहसील जायल नागौर

सेवामें,

श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर
जायल (नागौर)

द्वारा :- श्रीमान तहसीलदार साहब जायल ।

विषय राजस्व प्रार्थना-पत्र सं. 40/2020 अनुवान झुमरराम बनाम खेमाराम वगैरह अन्तर्गत धारा 251क आर.टी. एक्ट में मौका रिपोर्ट पेश करने बाबत ।

प्रसंग :- श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर जायल के आदेश/क्रमांक/रीडर/कोर्ट/251A/2021/102 दिनांक 19-01-2021 की पालना में ।

महोदयजी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगान्तर्गत राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या 40/2020 अनुवान झुमरराम बनाम खेमाराम वगैरह अन्तर्गत धारा 251क आर.टी. एक्ट में मौका रिपोर्ट तैयार कर वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

संलग्न-

(1) मौका रिपोर्ट
(2) नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट का
(3) नक्शा ट्रेस आस-पास के खसरों सहित
(4) जमा बन्दी नकलें ।
(5) नोटिस

मंगलाई
1LR कमेडिया

O/C
[signature]
23/04/2021

मौकारिपोर्ट

आज दिनांक 30/04/2021 को श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर जायल के आदेश क्रमांक/रीडर/कोर्ट/251A/2021//102 दिनांक 19-01-2021 एव राजस्व प्रार्थना-पत्र सं. 40/2020 अनुवान सुगनराम बनाम खेमाराम वगैरह में मौका रिपोर्ट हेतु ग्राम कमेड़िया के ख.न. 70, 494/71, के मौके पर पहुची। मौके पर प्राथी के पुत्र अशोक अप्राथी खेमाराम एव अन्य मौज़ विरान उपस्थित है। उपरोक्त की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट तैयार की गई। जो सलग्न नजरी नक्शा अनुसार निम्न प्रकार है।—

01 प्राथी के खेत मे आने-जाने के लिये वर्तमान मे रास्ते के निशान मौजूद नही है। ~~प्राथी द्वारा~~

02 प्राथी द्वारा वांछित रास्ता कमेड़िया से डोडु जाने वाले रास्ते से फटकार बिन्दु A से B तक दुरी 391 फुट है अन्य नजदीकी बिन्दु C से D तक दुरी 593 फुट है बिन्दु C पर पानी का टांका बना हुआ है ~~जो~~

03 प्राथी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही है।

04 ख.न. 70 मे से वांछित रास्ते की कुल दुरी 391 फुट × 12 = 0.0436 है। जिसकी डी.एल.सी दर की इसकी कीमत से 0-0436 × 129354 × 2 = 11280 रु एव अन्य दुरी ख.न. 82/2 की दुरी 593 फुट × 12 = 0-0661 है × 129354 × 2 = 17100 रु बनती है।

05 नक्शा जमा अनुसार (तरमीम अनुसार) प्राथी का ख.न. 494/71 जसे H तक है। परन्तु मौके अनुसार ख.न. 494/71 की उत्तरी सीमा बिन्दु E से F तक है।

उपरोक्त अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़कर सुनाई गई एव हस्ताक्षर करवाये गये।

मौज़ीज़ ... कमेड़िया

अ.प्रा. खेमाराम

अशोक (प्राथी सुगनराम का पुत्र)

[signature] 20.4.21 N.T.olch

अप्राथी ...

अन्य उपस्थित मौज़ विरान ने हस्ताक्षर करने से इनकार किया।

नक्शा ट्रेस किश्तवार
मौजा - कमेड़िया
तहसील - जायल
जिला - नागौर

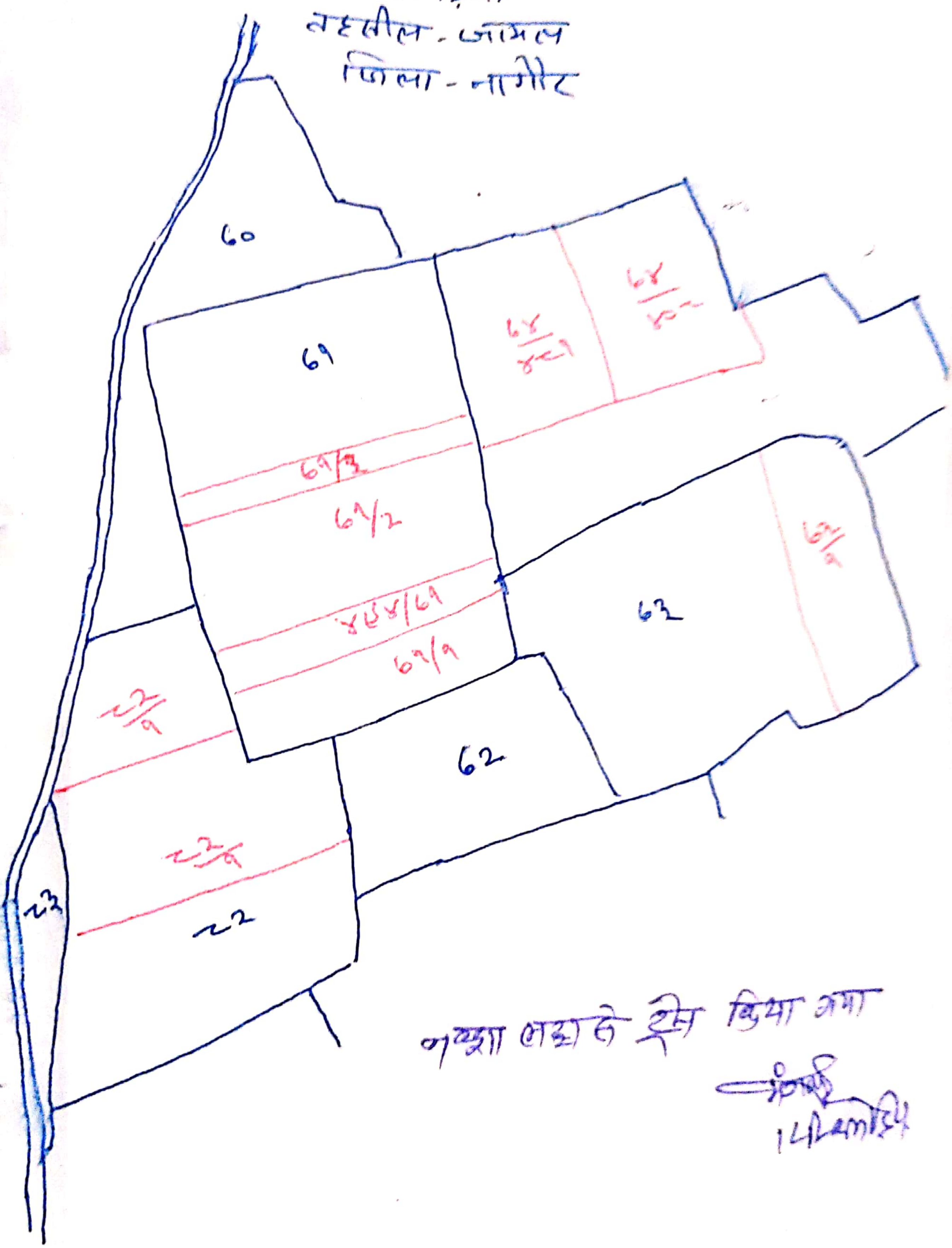

नक्शा नक्शा से ट्रेस किया गया

पटवारी

नजरी नक्शा ग्राम कोडिया

राजस्व प्रार्थना-पत्र नं. 40/2020 अनुदान भूमाराम बनाम खेमाराम कोरट अन्तर्गत धारा 251 क आर. टी. एक्ट में मौका रिपोर्ट

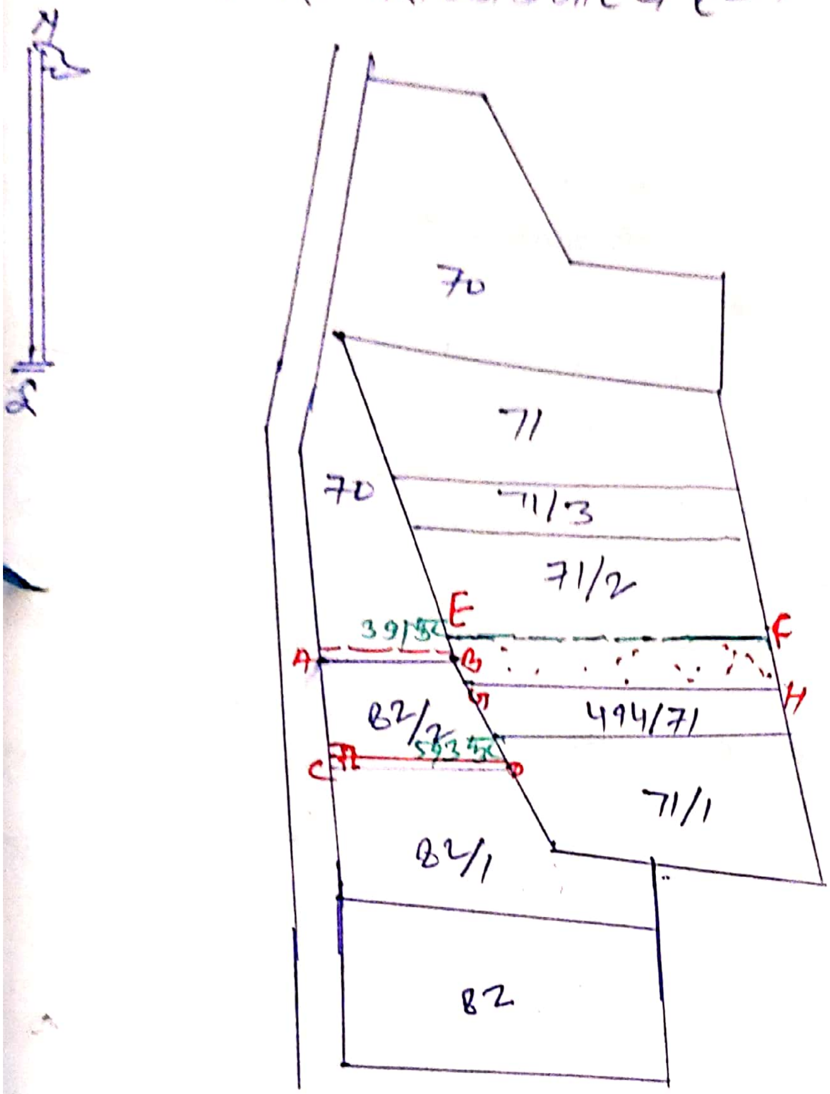

मंगाराम
[illegible]
20/04/2021

N.T. deh

प्र. नि. खेमाराम

अशोक

C.S.
[illegible]
15/7/2021

झूमरराम बनाम खेमाराम वगैरह
प्रार्थना पत्र 251क संख्या – 40/2020

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 40/2020

प्रार्थी :–

1. झूमरराम पुत्र नारायणराम
   जाति–जाट निवासी–कमेड़िया, तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. खेमाराम पुत्र लालाराम
   जाति–जाट, निवासी–कमेड़िया, तहसील–जायल जिला–नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित–

1. अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री एम.एल. कड़वासरा अप्रार्थी 1 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित।

–: : **आदेश** : :– दिनांक- 15/07/2021

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के दो खेत खसरा नं. 494/1 रकबा 004047 हैक्टैयर, खसरा नं. 71/1 रकबा 4.3301 हैक्टेयर एक ही चक में मौजा कमेड़िया, तहसील जायल में स्थित है। प्रार्थी के खेत 494/1, 71/1 के इन खेताय के चिपता ही दक्षिणी तरफ खेत खसरा नं. 70 रकबा 5.5442 हैक्टैयर अप्रार्थी खेमाराम का कब्जा काश्त एवं खातेदारी का रहता चला आया है, जिसके पश्चिमी तरफ आम ग्रेवल सड़क जो कमेड़िया से डोडू जाने वाली सड़क आई हुई। प्रार्थी के उक्त खेत के चिपते ही उत्तरी तरफ प्रार्थी के भाई मुन्नाराम, लूणाराम के खेत आये हुये है, प्रार्थी के खेत की गलत तरमीम होने से मार्क ए–बी–सी की सीध में होते हुये भी तरमीम गलत दर्शाई गई, जिसको सही करने हेतु तहसीलदार जायल के समक्ष आवेदन भी प्रार्थी ने कर रखा है। प्रार्थी अपने खातेदारी खेताय में कटाणी रास्ते से फंटकर अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 70 मे से

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

15/07/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

दक्षिणी सींव के पास–पास चलकर अपने खेत की पश्चिमी कुट तक अर्सा कदिमी रिवाजी रास्ता 12 फीट चौड़ाई तथा 475 फुट लम्बाई से अपने खेत में गाड़ी छकड़े मवेशी आदि आदि लाता व ले जाता रहा है तथा कृषि कार्य हेतु आवागमन भी करता रहा है, तथा इस वर्ष भी फसल की बुआई की है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा यही रास्ता ही कटाणी रास्ता से अपने खेत में आवागमन का सबसे नजदीक यही रास्ता है, उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र में रफ नजरी नक्शानुसार मार्क ए–बी प्रदर्शित है।

करीब 10 दिन पूर्व अप्रार्थी प्रार्थी को इस रासते का उपयोग/उपभोग करने से मना करते हुये बदनियति से उक्त मार्क ए–बी रास्ता अवरूद्ध कर दिया, आपसी बातचित एवं सुलह नहीं हो से प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जाना लाजमी हुआ है। प्रार्थी के खेताय में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को उक्त प्रस्तावित रासते की नितान्त आवश्यकता है। इसलिए प्रार्थी के खेताय में कृषिकार्य हे आवागमन के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 70 रकबा 5.5442 में से दक्षिणी सींव माठ से करीब 12 फीट चौड़ाई में नजरी नक्शानुसार रास्ता घोषित किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु आदेशित किया जावे। जिस बाबत् न्यायालय द्वारा तय की गई प्रतिकर राशि अथवा रास्ते की जमीन के बदले जमीन प्रार्थी अप्रार्थी को देने के लिए सहमत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार जायल को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री एम.एल.कड़वासरा ने वकालातनामा जवाब प्रार्थना पत्र/आपत्तिया पेश की।

प्रार्थना पत्र के संबंध में मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल से जरिये पत्रांक : भू.अ./2021/1673 दिनांक 26.04.2021 को प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट में नजरी नक्शा दर्शाते हुये बताया कि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए वर्तमान में रास्ते के निशानात् मौजूद नहीं है। प्रस्तावित/वांछित रास्ता मौजा कमेड़िया से डोडू जाने वाले रास्ते से फंटकर नजरी नक्शा में दर्शाये बिन्दू ए से बी तक दूरी 391 फुट है तथा अन्य नजदीकी बिन्दू सी से डी तक दूरी 593 फुट है, परन्तु बिन्दू सी पर पानी का टांका बना हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार कच्चा/पक्का निर्माण नहीं है। खसरा नं. 70 में से वांछित रास्ते के लिए 0.0436 हैक्टैयर भूमि उपभोग में आयेगी, जिसकी डी.एल.सी. दर के अनुसार दुगुनी राशि 1280/–रू. बनती है तथा अन्य दूरी खसरा नं. 82/2 में से 0.0661 हैक्टैयर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

बनती है जिसकी डी.एल.सी. दर के अनुसार 17100/–रू. बनती है। मौका निरीक्षक भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार/नक्शानुसार (तरमीम)प्रार्थी का खेत खसरा नं. 494/71 बिन्दू मार्क जी से एच है, परन्तु मौके अनुसार 494/71 की उत्तरी सीमा बिन्दू ई से एफ तक है। भू.अ. निरीक्षक द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में बनाई जाने की ताईद मौका रिपोर्ट पर अंकित अंगूठा निशान/हस्ताक्षर अप्रार्थी खेमाराम तथा प्रार्थी के पुत्र अशोक के हस्ताक्षर से होती है।

अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब में वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित आंशिक तथ्य स्वीकार करते हुये अभिकथन किया कि प्रार्थी के दोनो खेत ही चक में होने की बात सही है, प्रार्थी के खेत के चिपते ही दक्षिणी तरफ खेत खसरा नं. 70 होने की बात गलत लिखी है, बल्कि प्रार्थी के खेत के पश्चिमी उत्तरी तरफ अप्रार्थी खेमाराम के कब्जा काश्त व खातेदारी का खेत खसरा नं. 70 मौजा कमेड़िया तथा खसरा नं. 70 के पश्चिमी तरफ ग्राम कमेड़िया से डोडू जाने वाला रास्ता अवश्य आया हुआ है। परन्तु प्रार्थी झूमरराम अपने खेत खसरा नं. 44/71 व 71/1 में कटाणी रास्ते से फंटकर अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 70 के दक्षिणी सींव के पास–2 चलकर अपने खेत में आवागमन की बात सरासर गलत लिखी है, अप्रार्थी के खेत में से प्रार्थी का रास्ता कभी नहीं रहा है, बल्कि खसरा नं. 82/2 के उतरी सींव के सहारे–सहारे रहा है, जिसका उपभोग प्रार्थी एवं खसरा न. 82/2 मालिक भी आवागमन के लिए करते रहे है, तथा प्रार्थी द्वारा गलत नजरी नक्शा में गलत रास्ता दर्शाया है। प्रार्थी के खेत की तरमीम गलत होने की जानकारी अप्रार्थी को नहीं है तथा ना ही प्रार्थी द्वारा उक्त तरमीम सुधार के लिए किसी प्रकार आवेदन किये जाने के संवंध में जानकारी है। खेत खसरा नं. 71 अप्रार्थी का खरीदसुदा खेत है लेकिन प्रार्थी के खेताय खसरा नं. 71में से बंटवारा होकर अलग–2 हुये।

वकील अप्रार्थी ने आगे अभिकथन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 494/71, 71/1 में आवागमन के लिए खसरा नं. 82/2 में से वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, अतः प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे।

चूंकि प्रकरण हाजा में अप्रार्थी से ज़वाब/आपत्तियां तथा भू.अ. निरीक्षक मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिससे प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण हो जाने तथा साथ ही उक्त प्रकरण सम्मरी प्रोसेडिंग का होने से प्रकरण में बहस अन्तिम हेतु तारीख नियत की गई।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहरान करते हुये अतिरिक्त कथन किये कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत आपत्तियां निराधार है, प्रार्थी शुरू से ही अर्सा कदीमी रास्ते रूप में स्थित तथा प्रार्थना पत्र 251क में संलग्न नजरी नक्शा में वर्णनानुसार अपने खातेदारी के खेत में गाडी छकड़ा, पशुधन इत्यादि लाते व ले जाता रहा है, जिसे अप्रार्थी ने अब बदनियति से बंद कर दिया है जिससे प्रार्थी को अब कृषि कार्य करने तथा अपने खातेदारी खेत में आवागमन में परेशानी आ रही है। प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है, उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिससे प्रार्थी आना जाना कर सके। प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा प्रस्तावित रास्ता ही कटाणी मार्ग ग्राम कमेड़िया से डोडू मार्ग पर स्थित रास्ते के निकटतम रास्ता नहीं होने का मौका रिपोर्ट भी अंकन किया गया। अतः प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 494/71 व 71/1 में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 70 में से प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं होने तथा प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माफिक इस्तदुआ 12 फीट चौड़ाई में मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक में दर्शाये अनुसार मार्क ए से बी जो कि निकटतम रास्ता है से स्वीकृत व घोषित किया जावे, जिसके बदले में नियमानुसार देय प्रतिकर राशि अथवा जमीन के बदले जमीन देने के लिए प्रार्थी सहमत है।

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये अभिकथन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी के खेत खसरा नं. 494/71 व 71/1 में आवागमन के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 70 में से प्रार्थी द्वारा बताये अनुसार रास्ता कभी नहीं रहा है तथा ना ही कभी आवागमन प्रार्थी ने किया है। प्रार्थी के खेत के लिए निकटतम रास्ता खसरा नं. 82/2 में से है जो कि ग्राम कमेड़िया से डोडू मार्ग के निकटतम है। प्रार्थी उसके भाईयों का भी आवागमन खसरा नं. 82/2 में से उक्त खेत की उतरी सींव के पास–पास से रहा है तथा इसी रास्ते का उपभोग करते आये है। इसी प्रकार प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता होते हुये भी सुविधा के लिए तथा अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से अप्रार्थी के खेत में से रास्ता चाहा है, जबकि काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251के प्रावधान अनुसार वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर रास्ता घोषित नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन एवं पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

पत्रावली में प्रस्तुत जवाब/आपत्ति, दस्तावेज, मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया तथा वकुलाय द्वारा दौराने बहस दी गई दलीलों पर मनन किया गया। वकील प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 494/1, 71/1 में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए रास्ता खसरा नं. 70 में से होते हुये मुख्य कटाणी मार्ग (ग्रेवल सड़क) जो ग्राम कमेड़िया से डोडू के समीप स्थित है प्रचलित था तथा प्रार्थी ने इस वर्ष की काश्त भी इसी रासस्ते आना जाना करते हुये की जाने का उल्लेख किया है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेताय में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा यही रास्ता भी सबसे निकटतम रास्ता भी है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, तथा ना ही प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार कच्चा पक्का निर्माण होना अंकित है। इसी प्रकार मौका रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शानुसार खसरा नं. 70 में से प्रार्थीके खातेदारी खेत में प्रवेश हेतु रास्ते की दूरी मार्क ए से बी 391 फुट की दूरी पर तथा अप्रार्थी संख्या 1 के कथनानुसार प्रार्थी के खेत खसरा नं. 71/1 के लिए खसरा नं. 82/2 की खातेदारी भूमि में से रास्ते की दूरी मार्क मार्क सी से डी 593 फुट है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251क की मंशानुसार प्रार्थी/खातेदार काश्तकार को उसके खातेदारी के खेत में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए निकटतम कटाणी रास्ते से जब प्रार्थी/खातेदार/काश्तकार के पास आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध न हो तथा उक्त प्रस्तावित/रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता को प्रार्थी पक्ष सिद्ध कर पाने पर रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी के खेताय में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम तथा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, तथा ना ही सुविधा के लिए उक्त रास्ते की आवश्यकता जताई है, जिसकी पुष्टि तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 26.04.2021 से होती है तथा प्रार्थी को खातेदारी खेत में आवागमन के लिए रास्ते का अभाव होना तथा रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता प्रतीत होती है।

अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट/नजरी नक्शा में दर्शाये एवं सुझाये गये दो रास्तो मे खसरा नं. 82/2 में से मार्क सी से डी की दूरी 593 फीट होने तथा खसरा नं. 70 में से प्रस्तावित रास्ते की दूरी मार्क ए–बी 391 फीट की दूरी होने से ग्राम कमेड़िया तहसील जायल के खसरा नं. 70 की भूमि में से मार्क ए–बी 12 फीट चौड़ाई में रास्ता दिया जाना उचित समझते है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

डूमरराम बनाम खेमाराम वगैरह
प्रार्थना पत्र 251क संख्या – 40/2020

–: : आदेश : :–

यत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ग्राम कमेड़िया तहसील जायल के खसरा नं. 494/71, 71/1 के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के ग्राम कमेड़िया तहसील जायल के खातेदारी खेत खसरा नं. 70 की भूमि में से दर्शाया गया रास्ता मार्क ए–बी 12 फीट चौड़ाई में स्वीकृत व घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट क्रमांकः भू.अ./2021/1673 दिनांक 26.04.2021 उक्त निर्णय/आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम–कमेड़िया तहसील–जायल के खसरा नं. 494/71, 71/1 के लिए खसरा नं. 70 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी पक्ष से प्रभावित अप्रार्थी पक्ष खातेदार/पक्षकार को वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा प्रतिकर राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही करे।

तहसीलदार जायल माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15/7/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट कलक्टर जायल (एस.डी.ओ.)

15/7/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner